रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एस0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 4 जनवरी, 1999/14 पौष, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 दिसम्बर, 1998

संख्या 5-18/86-ई0एल0एन0.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-3 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाती हैं; अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-3 (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-21/86-ई0एल0एन0, तारीख 22-9-1988 द्वारा अधिसूचित "दी हिमाचल प्रदेश इलैक्शन डिपार्टमैंट, क्लास-III (नान-गैजिटिड) सर्विसिज" [नायब-तहसीलदार (इलैक्शन), ऐसीस्टैंट, ऐसीस्टैंट/अकाऊंटैंट, सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर, जुनियर स्केल स्टैनोग्राफर,

कानूनगो (इलैक्शन), गैस्टैटनर आपरेटर एण्ड ड्राईवर्ज] रिक्रूटमैंट एण्ड प्रोमोशन रूल्ज, 1988 का उस विस्तार तक निरसन किया जाता है, कि य नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) के पद से सम्बन्धित हों।

(ii) ऐसे निरसन क होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम 2(i) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जायेगी।

आदेश द्वारा,

परमिन्द्र माथुर,
सचिव (निर्वाचन)।

उपाबन्ध "क"

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश में नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-3 (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)
2. पदों की संख्या	12 (बारह)
3. वर्गीकरण	वर्ग-3 (अराजपत्रित)
4. वेतनमान (विस्तृत रूप में अंकित करें)	रुपये 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
5. चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	लागू नहीं
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	लागू नहीं
8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं?	आयु: लागू नहीं शैक्षणिक अर्हताएं: लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।

निर्धारित कानूनगो में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-98 तक ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को शामिल करके 5 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-3-98 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी, बशर्ते कि संभरण पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो :—

(क) उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-98 तक की गई तदर्थ सेवा, नियमित सेवा/नियुक्ति सहित *i e.* followed by regular service/ appointment को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी, हो :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

	(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31-3-98 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी। बशर्ते कि संकीर्ण पद पर तदर्थ नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धित पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो:
	परन्तु 31-3-98 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके परिणामस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ?	जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो
14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।	लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	लागू नहीं
16. आरक्षण	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[*Authoritative English text of this Department notification No.* 5-18/86-*ELN*, *dated* 18-12-98 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 18*th December*, 1998

No. 5-18/86-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules

for the post of Naib-Tehsildar, (Election) Class-3 (Non-Gazetted) in the Election Department, Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-3 (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Repeal and savings.*—(*i*) The Himachal Pradesh Election Department, Class-III (Non-Gazetted) Services [Naib-Tehsildar (Election), Assistant, Assistant/Accountant, Senior scale Stenographer, Junior scale Stenographer, Kanungo (Election), Gestetner Operator and Driver] Recruitment and Promotion Rules, 1988 notified *vide* this Department notification No. 5-21/86-ELN, dated 22-9-1988 are hereby repealed to the extent these pertains to the post of Naib-Tehsildar (Election).

(*ii*) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2 (*i*) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,

PARMINDER MATHUR,
Secretary (Election).

ANNEXURE 'A'

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF NAIB-TEHSILDAR (ELECTION) CLASS-3 (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ELECTION, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Naib-Tehsildar (Election)
2. Number of posts	12 (Twelve)
3. Classification	Class-3 (Non-Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640.
5. Whether selection post or non-selection post ?	Non-selection
6. Age for direct recruitment	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?	*Age*: Not applicable *Educational Qualifications*: Not applicable

9. Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Kanungos (Election) with at least five years regular or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered up to 31-3-98) service, if any, in the grade. (1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that :— (*i*) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-98 followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less : Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s)

junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment/promotion shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law
14. Essential requirement for a direct recruitment.	Not applicable
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.	Not applicable

16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Powers to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons or posts.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 6 मई, 2002/16 वैशाख, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 19 अप्रैल, 2002

संख्या 5-18/86-ई०एल०एन०.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या 5-18/86-ई०एल०एन०, तारीख 18 दिसम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है) के संक्षिप्त नाम में विद्यमान शब्द, चिन्ह और रोमन अंक "वर्ग III (अराजपत्रित)" के स्थान पर "वर्ग-II (राजपत्रित)" शब्द, चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), "वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध "क" में :—

(क) स्तम्भ संख्या-3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:—
"वर्ग-II (राजपत्रित)"

(ख) स्तम्भ संख्या-5 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—
"चयन"

(ग) स्तम्भ संख्या-12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—
"जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी"

(घ) विद्यमान स्तम्भ संख्या-17 को स्तम्भ संख्या-18 के रूप में पुनः सख्यांकित किया जाएगा तथा स्तम्भ संख्या-16 व 18 के मध्य "17-विभागीय परीक्षा" शीर्षक से नया स्तम्भ अंतः-स्थापित किया जाएगा जिसके सम्मुख निम्नलिखित उपबन्ध होंगे, अर्थात :—
"सेवा में प्रत्येक सदस्य को विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी"

आदेश द्वारा,

पी0 सी0 कपूर,
सचिव (निर्वाचन)।

[*Authoritative English Text of this department's notification No. 5-18/86 ELN dated, 19-4-2002 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009 *the* 19*th April*, 2002

No. 5-18/86-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified *vide* Notification No. 5-18/86-ELN, dated 18th December, 1998, namely:—

1. *Short title and commencement*.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules (First Amendment), 2002.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Short title.*—In short title of the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-III, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998 (hereinafter referred to as the "said rules") for the existing word, Sign and Roman figure "Class-III, (Non-Gazetted) the word, sign & Roman figure "Class-II) Gazetted)" shall be substituted.

3. *Amendment of Annexure "A".*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998 :—

(*a*) For the existing provisions against Column No. 3, the following shall be substituted, namely :—

"Class-II (Gazetted)"

(*b*) For the existing provision against Column No. 5, the following shall be substituted, namely :—

"Selection"

(*c*) For the existing provision against Column No, 12, the following shall be substituted, namely :—

"To be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him".

(*d*) The existing column No. 17 shall be renumbered as column No. 18 and a new column titled "17-Departmental Examination" shall be inserted in between the column No. 16 & 18 against which the following provisions shall be made, namely :—

"Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules 1997".

By order,

P. C. KAPOOR,
Secretary (Election).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 28 नवम्बर, 2002/7 अग्रहायण, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 12 नवम्बर, 2002

संख्या 5-18/86-ई0एल0एन0.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या 5-18/86-ई0एल0एन0, तारीख 18 दिसम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2002 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध-'क' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), वर्ग-II, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध-'क' में स्तम्भ संख्या-11 के सामने

विद्यमान उपबन्धों में शब्दों और अंक "31-3-1998 तक की गई" जहां-जहां वे आते हैं, का लोप किया जायेगा ।

आदेश द्वारा,

मनीषा नन्दा,
सचिव (निर्वाचन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

[*Authoritative English text of this Department Notification No.* 5-18/86-*ELN dated* 12-11-2002 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, *the* 12*th November*, 2002

No. 5-18/86-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified *vide* Notification No. 5-18/86-ELN, dated 18th December, 1998, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(*i*) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, (Second Amendment) 2002.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*—In the Annexure "A" to The Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1998, in the existing provision against column No. 11, the words and figure "rendered up to 31-3-1998" where-ever occurring, shall be deleted.

By order,

MANISHA NANDA,
Secretary Election to.
the Government of Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 2010 / 7 कार्तिक, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

4th August, 2010

No. HHC/Rules/14-61/90-IV.—Hon'ble the Chief Justice, High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India and all other enabling powers in this behalf, is pleased to make the following amendment in "The Himachal Pradesh High Court Officers and the members of the Staff (Recruitment, Conditions of Service, Conduct and Appeal) Rules, 2003, (14th amendment)":—

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

7th August, 2010

No. HHC/Rules/CP.ADR/05.—In exercise of the rule making power vesting under Part X of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and clause (d) of sub-section (2) of Section 89 of the said Code, the High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in "High Court of Himachal Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation Rules, 2005".

1. **Short Title.**—These Rules shall be called "High Court of Himachal Pradesh Civil Procedure Alternative Dispute Resolution and Mediation, (1st Amendment) Rules, 2010."

2. **Commencement.**—This amendment shall come into force with immediate effect.

3. **Amendment.**—Sub-Rule (2) of Rule 4 in Part II, Civil Procedure Mediation Rules shall stand substituted as under :

"4 Qualification of persons to be empanelled under Rule 3".

(2) Legal Practitioners with at lease **ten** years standing at the Bar at the level of the Supreme Court or the High Court; or the District Courts or Courts of equivalent status.

BY ORDERS OF THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH.
Sd/-
REGISTRAR (JUDICIAL).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 29 अक्तूबर, 2010

संख्याः 5–16 / 2008–ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः 5–18 / 86–ईएलएन., तारीख 18 दिसम्बर, 1998 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग नायब–तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग नायब–तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2010 है।

(i) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–"क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग नायब–तहसीलदार (निर्वाचन) वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 के उपाबन्ध–"क" में;—

स्तम्भ संख्या–4 में विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पे बैंड: 10300—34800/— रुपए जमा 4200/— रुपए ग्रेड पे"।

आदेश से,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-16/2008-*ELN, dated* 29-10-2010 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, 29*th October*, 2010

No. 5-16/2008-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998, notified *vide* Notification No. 5-18/86-ELN, dated 18 December, 1998, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2010.

(ii) These rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Amendment of Annexure-"A".**—In **Annexure-"A"** to the Himachal Pradesh Election Department, Naib-Tehsildar (Election), Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998:—

For the existing provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely:-

"Pay Band: Rs. 10300-34800/- plus Rs. 4200/- Grade Pay".

By order,
Sd/-
Secretary (Election).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी (तहसीलदार), जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री सोहन लाल पुत्र श्री भरेवतू राम, निवासी गांव डल्लू, डाकघर वीणापुर, मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता मुहाल डल्लू, तहसील जयसिंहपुर

विषय.——प्रार्थना–पत्र बावत राजस्व रिकार्ड के नाम की दरुस्ती बारे।

श्री सोहन लाल पुत्र श्री भरेवतू राम, निवासी गांव डल्लू, डाकघर वीणापुर, तहसील जयसिंहपुर, ने मय ब्यान हल्फीया पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम सोहन लाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सामली दर्ज हुआ है जो कि गलत दर्ज हुआ है।

इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर ताहिरा का नाम एवं जन्म तिथि 3–8—2005 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 15–10–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस० के० शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अक्तूबर, 2010

संख्याःई०एक्स०एन०–एफ(10)–2/2010–लूज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्याक 9) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची–2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं; अर्थातः—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची–2 में प्रविष्टी संख्या 9, 11 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थातः—

क्रम संख्या	माल	कर की दर
9.	(क) समस्त प्रकार की अपशिष्ट सामग्री और स्क्रैप (ख) अलौह धातु तथा उसके स्क्रैप	2% 1%
11.	कोरूगेटिड डिब्बे और मोनो कार्टन। तथापि बागवानों, कृषकों और व्यष्टिक उपभोक्ताओं पर कोई भी कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा।	5%
13.	प्राधिकृत गैस वितरकों द्वारा विक्रय किए गए से भिन्न वाणिज्यिक उपयोग हेतु राज्य के बाहर से आयातित एल पी जी सिलेंडर।	12%

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/2010-Loose dated 29-10-2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 29th October, 2010

No. EXN-F(10)-2/2010-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (5) of Section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010) is pleased to make following amendments in Schedule-II appended to the said Act namely :—

AMMENDMENTS

In Schedule-II of the aforesaid Act the entry no. 9, 11 & 13 shall be substituted by the following, namely:—

Sr. No.	Goods	Rate of Tax
9	**(a) Waste material and scraps of all types.** **(b) Non-Ferrous Metal including scrap thereof.**	2% 1%
11	**Corrugated boxes and mono cartons. However, no tax will be imposed on the Horticultrists, Agriculturists and individual consumers.**	5%
13	**LPG cylinders imported from outside the State for commercial use other than sold by authorized gas distributors.**	12%

By order,
Sd/-
Principal Secretary (E&T).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित